150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालयः–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल. म0प्र0

–::: परिपत्र :::–

क्रमांकः–**Q-56** भोपाल, दिनांकः–**03-05-2020**

विषय :– COVID-19 कोरोना वायरस राष्ट्रव्यापी लॉक–डाउन के दौरान न्यायालयीन कार्य व्यवस्था बाबत्।

संदर्भ :– i-माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर का परिपत्र क्रमांक–Q-11 जबलपुर, दिनॉक–02-05-2020 एवं ii-इस कार्यालय का परिपत्र क्रमांकः–Q-36 भोपाल, दिनांकः–14-04-2020 व iii- परिपत्र क्रमांकः–Q-45 भोपाल, दिनांकः–18-04-2020

****

विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र क्रमांक–i के अनुक्रम में लॉक–डाउन अवधि अर्थात् दिनॉकः–17-05-2020 तक भोपाल जिले में स्थित किसी भी न्यायालय में कोई कार्य नहीं होगा और न्यायालय बंद रहेंगे। इस अवधि में केवल अत्यावश्यक मामले (जमानत आवेदन आदि) की सुनवाई के संबंध में दिनांकः–25-03-2020 से अर्थात् लॉक–डाउन अवधि प्रारंभ होने से की गई कार्य व्यवस्था (संदर्भित परिपत्र क्रमांक–ii व iii) के अनुसार पूर्ववत् जारी रहेगी। सभी न्यायालयों में दिनांक–04-05-2020 से दिनांक–15-05-2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों की आगामी तिथियों की सूचना पृथक से दी जा रही है।

संलग्नः:–संदर्भित परिपत्र क्र0–**i, ii, iii** की प्रतियां.

Sd/-
राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल. म0प्र0

भोपाल, दिनांकः–**03-05-2020**

क्रमांकः–**Q-56**

प्रतिलिपिः:–

1– रजिस्ट्रार जनरल म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

2– अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, भोपाल/तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील–बैरसिया, जिला–भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

3– समस्त न्यायिक अधिकारीगण : भोपाल/बैरसिया की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

4– प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई–मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित्।

5– कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

Scanned with CamScanner

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

6– पुलिस उपमहानिरीक्षक, भोपाल/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भोपाल की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित् कि समस्त थाना–प्रभारियों को निर्देशित् करें, कि निर्धारित समय में ही केस–डायरी व रिमाण्ड आदि प्रस्तुत किये जावें।

7– अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

8– प्रभारी अधिकारी, नज़ारत अनुविभाग जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल एवं सिविल न्यायालय बैरसिया, जिला भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित्, कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर संलग्न नोटिस चस्पा किये जाने जावें।

9– अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा–भोपाल की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत् कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित्।

10– संचालक, जन–सम्पर्क संचालनालय, भोपाल की ओर इस अनुरोध के साथ, कि सभी दैनिक समाचार–पत्रों में उक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने का कृष्ट करें।

11– प्रशासनिक अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित् कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित् की जावे एवं सभी कर्मचारियों को सूचित करना सुनिश्चित् करें।

12– जिला नाज़िर/नायब नाज़िर सिविल न्यायालय बैरसिया, जिला–भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ, कि एक प्रति तत्काल न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।

3.5.2020

राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल. म0प्र0

Scanned with CamScanner